अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

05 22.01.2024	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, राँची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 140/2023 राज्य बनाम बिट्टू सिंह उर्फ बिट्टू नेपाली उर्फ विनय सिंह उर्फ नेपाली, पिता– स्व० उपेन्द्र नारायण सिंह, निवासी– किशोरगंज गली सं०–04 थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची (झारखण्ड) .... विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 1556/डी०सी०बी० दिनांक 26.11.2023 द्वारा बिट्टू सिंह उर्फ बिट्टू नेपाली उर्फ विनय सिंह उर्फ नेपाली, पिता– स्व० उपेन्द्र नारायण सिंह, निवासी– किशोरगंज गली सं०–04 थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:– 1. नामकुम थाना काण्ड सं0–119/17 दि०– 28.05.2017 धारा–395/365 भा० द०वि०। 2. कोतवाली थाना कांड सं0–246/17 दिनांक–08.09.2017 धारा–307 भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधिनियम । 3. सुखदेवनगर थाना कांड सं0–540/16, दिनांक–20.9.2016, धारा–386/386/120बी०/34 भा०द०वि० 4. कोतवाली थाना काण्ड सं0–112/16 दि0–18.0.16 धारा–448/342/324/379/34 भा०द०वि० । 5. डोरण्डा थाना सं0–173/15 दि0–19.03.2015 धारा–414/34 भा०द०वि० ।	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

6. सुखदेवनगर सनहा सं0–34 / 23 दिनांक–08.09.2023

7. सुखदेवनगर सनहा सं0–51 / 23 दिनांक–13.09.2023

8. सुखदेवनगर सनहा सं0–36 / 23 दिनांक–09.11.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली रॉची ने कार्यालय पत्रांक 2559 / उपा० दिनांक 22.11.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि बिट्टू सिंह उर्फ बिट्टू नेपाली उर्फ विनय सिंह उर्फ नेपाली, पिता– स्व० उपेन्द्र नारायण सिंह, निवासी– किशोरगंज गली सं०–04 थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची एक कुख्यात अपराधकर्मी है। ये जेल से अभी हाल के दिनों में मुक्त हुए हैं एवं जेल से निकलने के बाद अपने नये / पुराने सहयोगियों को इकट्ठा करने के फिराक में है तथा उनलोगो के साथ इन्हे घूमते हुए पाया गया है। विपक्षी जेल से निकलने के बाद भी अपनी गतिविधि में कोई सुधार नहीं किये है। अधिक रात्रि को इनके घरों पर विभिन्न थाना क्षेत्र के असामाजिक तत्वों / अपराधकर्मी का जमावड़ा होने की सूचना प्राप्त हो रही है। जिससे ऐसी आशंका उत्पन्न हो रही है कि इनके द्वारा निकट भविष्य में किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जिससे क्षेत्र में अशांति एवं विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह काफी शातिर एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। इनका भय सुखदेवनगर, कोतवाली थाना क्षेत्र में काफी व्याप्त है, जिससे लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी के अनुसार – विपक्षी के खिलाफ लगाये गये आरोप झूठा, गलत, मनगढन्त है। विपक्षी के द्वारा कभी कोई अपराध नहीं किया गया है और ना ही उनके द्वारा कोई अपराध करने का प्रयास ही किया गया है। विपक्षी के खिलाफ झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के (ए) (बी) (I) (II) के तहत कार्यवाही के संधारण हेतु

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

आवश्यक तत्व (Ingredient) मौजुद नही है। विपक्षी कानून का पालन करने वाले सभ्य नागरिक है। विपक्षी के खिलाफ प्रतिवेदित 5 मामलो मे वर्त्तमान मे मात्र 2 से 3 मामले ही लंबित है वो भी बहुत पुराने हैं। वर्ष 2017 के पश्चात् विपक्षी किसी भी अपराधिक मामले मे शामिल नही हुए है। विपक्षी सेल्समैन का कार्य करते है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक एक असामाजिक तत्व है। इनके आचरण से समाज में अशांति एवं आम जनता के बीच भय, आंतक एवं दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस कारण से लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा अपने बचाव मे दिये गये बयान तथ्यात्मक नही है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी बिट्टू सिंह उर्फ बिट्टू नेपाली उर्फ विनय सिंह उर्फ नेपाली, पिता–स्व० उपेन्द्र नारायण सिंह, निवासी– किशोरगंज गली सं०–04 थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में विपक्षी बिट्टू सिंह उर्फ बिट्टू नेपाली उर्फ विनय सिंह उर्फ नेपाली, पिता– स्व० उपेन्द्र नारायण सिंह, निवासी– किशोरगंज गली सं०–04 थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची को दिनांक 29.01.2024 से दिनांक 28.04.2024 तक की अवधि के लिए सुखदेवनगर थाना, राँची में प्रत्येक एक पक्ष (पंद्रह दिन) मे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, सुखदवेनगर थाना के समक्ष रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 28.01.2024. तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 29.01. 2024 से दिनांक 28.04.2024 तक प्रत्येक एक पक्ष (पंद्रह दिन) मे सुखदेवनगर थाना राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी प्रति एक पक्ष (पंद्रह दिनों) मे अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति बिट्टू सिंह उर्फ बिट्टू नेपाली उर्फ विनय सिंह उर्फ नेपाली, पिता–स्व० उपेन्द्र नारायण सिंह, निवासी–किशोरगंज गली सं०–04 थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.02.05 22:29:53 -08:00
Location: 192.168.1.4